

अनुलग्नक क. 1.5

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //


रायपुर, दिनांक 29/06/2006

कमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम)/चार (60)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-इ के खण्ड (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (कमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क.286/ब-4/चार/2003, दिनांक 22.08.2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

// संशोधन //


उक्त अधिसूचना में,

कड़िका 4 में शब्द तथा अंक "30 जून, 2006" के स्थान पर शब्द तथा अंक " 31 दिसम्बर, 2006" प्रतिस्थापित किये जायें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 29/06/2006

कमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम)/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम)/चार(60)दिनांक 29/06/2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव